न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 131/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/300**
दायर दिनांक :– 19.07.2024 **निर्णय दिनांक :– 19.08.2025**

1. हरचन्दराम पुत्र छोगाराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
2. भूराराम पुत्र छोगाराम जाति विश्नोई निवासी राईका बाग तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. रामरखराम पुत्र छोगाराम जाति विश्नोई निवासी मोटाई तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. सहीराम पुत्र छोगाराम जाति विश्नोई निवासी मोटाई तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधि. प्रार्थीगण
2. श्री करणीसिंह राठौड. अधि. प्रति.सं.1 व 2

–:: निर्णय ::–

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत 88,89,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है। उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। ग्राम कलाथल पटवार हल्का नारायणपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 172/1 रकबा 5.6332 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 189/1 रकबा 4.5568 हैक्टेयर कुल रकबा 10.1900 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में छोगाराम पुत्र गणेशा के नाम से दर्ज है और छोगाराम पुत्र गणेशा का देहान्त दिनांक 08.05.2021 को चुका है। उक्त वादग्रस्त भूमि वक्त भू–प्रबन्ध प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के पूर्वज गणेशा पुत्र रावत के कब्जा व काश्त होने से उक्त भूमि गणेशा के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई और गणेशा के फौत होने पर मुतवफी गणेशा के विरासत नामान्तरकरण प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के पिता छोगाराम पुत्र गणेशा के पक्ष में भरा जाकर स्वीकृत हुआ। इस प्रकार से उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की पैतृक सम्पति है जिसमें प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 हक व हिस्सा जन्म से ही निहित हे लेकिन अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 द्वारा प्रार्थीगण से बोले–बोले छोगाराम पुत्र गणेशा से उक्त वादग्रस्त भूमि समपूर्ण का अपने नाम से एक बख्सीशनामा दिनांक 25.07.2011 को करवा दिया है जो सरासर गलत एवं विधि विरूद्ध है जबकि प्रार्थीगण भी छोगाराम पुत्र गणेशा के जायन्दा पुत्रगण है और उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का अपने पैतृक हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। इसलिये अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 द्वारा अपने पक्ष में अपने

19/8/25

पैतृक हिस्से से अधिक निष्पादित करवाया गया बख्सीशनामा प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों के विरुद्ध शुरू से ही शुन्य एवं प्रभावहीन है इसलिये प्रार्थीगण के उक्त बख्सीशनामा को शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित करवा कर ग्राम कलाथल पटवार हल्का नारायणपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 172/1 रकबा 5.6332 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 189/1 रकबा 4.5568 हैक्टेयर कुल रकबा 10.1900 हैक्टेयर भूमि में अपने पैतृक 2/4 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का अपने पैतृक हिस्से पर कब्जा काश्त होने से सुविधा का तुलनात्मक संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होने से अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि का आगे बैचान हस्तान्तरण कर देने तथा मौके पर पक्का निर्माण कार्य कर देने से तथा प्रार्थीगण को अपने कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल कर देने से प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिये यह प्रार्थना पत्र वास्ते विवादित भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होने से प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 की और से अधिवक्ता श्री करणीसिंह राठौड़ ने मूल वाद में वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा, नामान्तरकरण इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

ग्राम कलाथल पटवार हल्का नारायणपुरा के खाता संख्या 58 सम्वत् 2076–79 की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगस्त भूमि छोगाराम पुत्र गणेशा के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। पत्रावली के संलग्न बख्सीशनामा के अनुसार वादग्रस्त भूमि के खातेदार छोगाराम पुत्र गणेशा ने अपनी सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को दिनांक 25.07.2011 को बख्सीस कर दी गई परन्तु वर्तमान राजस्व रेकर्ड में छोगाराम पुत्र गणेशा ही दर्ज है। प्रार्थीगण भूमि छोगाराम के जायन्दा वारिसान है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जैरकार है। वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्से का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सुनवाई उपरान्त तय किया जाना है। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में पैतृक

19/8/25

हिस्से को लेकर विवाद है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पैतृक हिस्से को लेकर विवाद के चलते प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना-पत्र और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगस्त भूमि छोगाराम पुत्र गणेशा के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। पत्रावली के संलग्न बख्सीशनामा के अनुसार वादग्रस्त भूमि के खातेदार छोगाराम पुत्र गणेशा ने अपनी सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को दिनांक 25.07.2011 को बख्सीस कर दी गई परन्तु वर्तमान राजस्व रेकर्ड में छोगाराम पुत्र गणेशा ही दर्ज है। प्रार्थीगण भूमि छोगाराम के जायन्दा वारिसान है। चूंकि प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुआ है। अतः न्यायालय के अभिमत में प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो प्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा हो सकती है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुये है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित होने के कारण मूल वाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि ग्राम कलाथल पटवार हल्का नारायणपुरा तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 172/1 रकबा 5.6332 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 189/1 रकबा 4.5568 हैक्टेयर में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के पैतृक हक व हिस्सा तक ता फैसला दावा दखलअंदाजी न करे व राजस्व अभिलेख एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखें। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

19/8/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)